न्यायालय, उपखण्ड अधिकारी, जैतारण (जिला–पाली) राज.

पीठासीन अधिकारी : **श्री डॉ. भास्कर बिश्नोई, आर0ए0एस0**

राजस्व वाद संख्या : **46/2018**

GCMS NO. : **2018/00107**

–: प्रार्थीगण :– **बनाम** **–: अप्रार्थीगण :–**

प्रार्थीगण:

1. बगदाराम पुत्र ढगलाराम
2. लक्ष्मण पुत्र ढगलाराम
3. चम्पालाल पुत्र ढगलाराम
4. मोतीलाल पुत्र सुखाराम
5. भीकाराम पुत्र सुखाराम
6. रमेश पुत्र सुखाराम
   सभी जातियान– कुमावत
   निवासीगण– निमाज, तहसील
   जैतारण, जिला– पाली।
7. पाबूराम पुत्र भूराराम
   जाति– कुमावत, निवासी–
   पंचायत समिति के पास
   जैतारण, तहसील जैतारण।
8. गीता पत्नि जोगाराम
9. पूसाराम पुत्र जोगाराम
10. गोविन्द पुत्र जोगाराम
11. अणदाई पत्नि पेमाराम
12. ओमाराम पुत्र पेमाराम
13. देवेन्द्र पुत्र पेमाराम
    सभी जातियान– कुमावत,
    निवासीगण– निमाज, तहसील–
    जैतारण, जिला– पाली।

अप्रार्थीगण:

1. श्रीराम पुत्र अमरचंद
2. मोहन पुत्र अमरचंद
3. रामेश्वरलाल पुत्र गणेशमल
   जातियान– ब्राहम्ण, निवासीगण– लखारों
   का बास, जैतारण, तहसील– जैतारण,
   जिला– पाली(राजस्थान)

राजस्व प्रार्थना पत्र बाबत् रास्ता कायम करवाने अन्तर्गत धारा 251(ए) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

तारीख रजू:.05/03/2018

उपस्थित:–

1. श्री सुरेश चौधरी, अधिवक्ता, प्रार्थीगण।
2. श्री धर्मेश जांगिड़, अधिवक्ता, अप्रार्थीगण।

–:: निर्णय ::– **दिनांक– 18/01/2021**

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2021.02.15 14:11:25 IST
Reason: SelfAttested

वकील मय प्रार्थीगण ने एक राजस्व प्रार्थना पत्र [illegible] धारा 251(क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, के तहत् [illegible] कर निवेदन किया हैं कि प्रार्थीगण की खातेदारी व कब्जा की भूमि [illegible] मौजा जैतारण, पटवार हल्का जैतारण, जिला– पाली में आई हुई है जिसके खसरा नम्बर 346 रकबा 54 बीघा 12 बिस्वा है। तथा प्रार्थीगण की इस खसरा नम्बर 346 की भूमि के पश्चिमी तरफ अप्रार्थीगण की खातेदारी व कब्जा काश्त की भूमि खसरा नम्बर 345/1 व खसरा नम्बर 345 की भूमि आई हुई है, जिसकी नकल चालू जमाबंदी व नक्शा ट्रेश की प्रमाणित प्रति इस प्रार्थना पत्र के साथ पेश है। प्रार्थीगण की उक्त खातेदारी व कब्जा काश्त की कृषि

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

भूमि खसरा नम्बर 346 के पूर्वी व उत्तरी तरफ सरहद मौजा फूलमाल, पटवार हल्का फूलमाल तहसील जैतारण की कृषि भूमि खसरा नम्बर 211 की आई हुई है। जबकि प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण की भूमि सरहद मौजा जैतारण पटवार हल्का जैतारण में स्थित है। प्रार्थीगण की खातेदारी व कब्जा काश्त की कृषि भूमि खसरा नम्बर 346 में आवागमन का रास्ता जैतारण से फूलमाल जाने वाली सड़क से होते हुये अप्रार्थीगण संख्या 01 व 02 की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 345/1 की पूर्वी तरफ की माठ यानि फूलमाल में स्थित खसरा सरा नम्बर 211 जिसके वर्तमान खसरा नम्बर 211/23 से चिपते हुये 20 फुट चौड़ाई में रास्ता जो खसरा नम्बर 345 जिसके वर्तमान में खसरा नम्बर 345/1 से होते हुये प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 346 तक जाता है, इस रास्ते का नजरी नक्शा बनाकर इस प्रार्थना पत्र के साथ पेश किया जा रहा है। जिसमें प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि में आवागमन के रास्ते को मार्क ए से बी से दर्शाया पाराम3 गया है। उक्त रास्ता मौके पर खुला है तथा प्रार्थीगण वर्षो पूर्व से इसी स्थान से आवागमन करते रहे है। जैसा कि उपर अंकित किया जा चुका है कि– प्रार्थीगण के खसरा नम्बर 346 में आवागमन का रास्ता जो इस प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत नजरी नक्शे में मार्क ए से बी से दर्शाया गया है। उक्त एक मात्र रास्ता ही प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि में आवागमन का रास्ता है। विक्लपेन प्रार्थीगण के लिए अन्य कोई रास्ता उपलब्ध नहीं है। उक्त रास्ता मौके पर तो चालू है। लेकिन राजस्व रेकर्ड में इस रास्ते का कहीं पर अंकन नहीं है। बल्कि उक्त जगह अप्रार्थीगण संख्या 01 व 02 के नाम बतौर खातेदार के राजस्व रेकर्ड में दर्ज है। इस वजह से फसल बोने के दिनों में अप्रार्थीगण प्रार्थीगण के आवागमन में हस्तक्षेप व दखलंदाजी करते है। जिससे विवाद होने का अंदेशा बना रहता है तथा अप्रार्थीगण प्रार्थीगण के इस आवागमन के रास्ते को बंद करने की एलानिया कथन भी करते रहे है। दिनांक 20.12.2017 को अप्रार्थीगण ने प्रार्थीगण को एलानिया कथन भी किया कि वह मौके पर अपने खेत के उत्तरी तरफ तारबंदी करवा देगें एवं प्रार्थीगण के खेत में जाने का रास्ता अवरुद्ध करवा देगे तथा अपनी खातेदारी भूमि में से होकर प्रार्थीगण को आवागमन नहीं करने देगे। इस प्रकार यदि अप्रार्थीगण प्रार्थीगण के इस एक मात्र रास्ते को बंद कर देते है तो प्रार्थीगण हमेशा हमेशा के लिये अपने कृषि भूमि पर आवागमन नही कर पाने के कारण फसल की बुवाई व पैदावार भी नहीं ले पायेगे। जिससे प्रार्थीगण को भारी परेशानी होगी व असीम क्षति भी होगी। जिसकी क्षतिपूर्ति भी किसी कदर संभव नहीं हो पायेगी। इस बाबत प्रार्थीगण विधिक प्रावधानों अनुसार रास्ते की मुआवजा राशि देने बादत भी तैयार है व उसके बावाजूद भी गैरप्रार्थीगण नही मान रहे है। यह है कि प्रार्थीगण का जैतारण से फूलमाल जाने वाले रास्ते से होते हुये नजरी नक्शे में दर्शाये माफिक अपनी कृषि भूमि पर जाने का एक मात्र यही रास्ता है। जो नजरी नक्शे में मार्क ए.बी. से दर्शाया गया है। उक्त रास्ता खसरा नम्बर 345 जिसके वर्तमान नम्बर 345/1 में से होकर के गुजर रहा है। जो नक्शा ट्रेश में खसरा नम्बर 345 के रूप में दर्ज है। माफिक नजरी नक्शे के ... के रास्ते को राजस्व रेकर्ड में बतौर रास्ते के दर्ज करवाने के प्रार्थीगण अधिकारी ... उक्त ... प्रार्थीगण का कदीमी रास्ता है। जिसका विधि अनुसार राशि भी ... जावे। उक्त मुआवजा राशि प्रार्थीगण देने को भी तैयार है या न्यायालय में जमा करवाने को तैयार है। नजरी नक्शे में दर्शित रास्ते की भूमि मार्क ए, बी, सी, को खसरा नम्बर 345/1 से कम किया जाकर रास्ते के रूप में दर्ज किया जाना आवश्यक है व रास्ते का खसरा नम्बर अलग से भी कायम किया जाना आवश्यक है एवं रास्ते को भी नक्शा ट्रेश में तरमीम करवाने का अधिकारी है। प्रार्थीगण को उक्त रास्ते की इजमेंट ऑफ नेसेसिटी है। इसलिये भी

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2021.02.15 14:11:25 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

प्रार्थीगण रास्ता कायम करवाने का अधिकारी है। अप्रार्थीगण संख्या 03 अप्रार्थीगण के सहहिस्सेदार है। इसलिये उन्हे पक्षकार बनाया गया है। उनके विरूद्ध कोई अनुतोष नहीं चाहा गया है। प्रार्थीगण का यह प्रार्थना पत्र विधिक प्रावधानों अनुसार अन्दर म्याद आवश्यक न्याय शूल्क के प्रस्तुत कर पेश किया जा रहा है। जो अदालत श्रीमान के क्षेत्राधिकार व श्रवणाधिकार में है। अतः प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र व दस्तोवजात के पेश कर श्रीमान जी से निवेदन है कि प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत नजरी नक्शे के माफिक प्रार्थीगण की खातेदारी व कब्जा काश्त की कृषि भूमि खसरा नम्बर 346 में आवागमन का रास्ता जो खसरा नम्बर 345 जिसके वर्तमान नम्बर 345/1 में से होकर नजरी नक्शे में मार्क ए से बी से दर्शित 20 फुट चौड़ा रास्ता जो जैतारण से फूलमाल जाने वाली डामर सड़क से होकर प्रार्थीगण की भूमि तक जाता है, इस मार्क ए से बी 20 फुट चौड़ी भूमि को प्रार्थीगण के रास्ते के रूप में काम में लिये जाने बाबत रास्ता दर्ज किया जावे व अप्रार्थीगण संख्या 01 व 02 की खातेदारी कृषि भूमि से उक्त रकवा कम किया जाकर प्रार्थीगण की भूमि पर आने जाने का रास्ता कायम किये जाने का निर्णय व फैसला फरमावे व रास्ता दर्ज किये जाने वाली भूमि का बाद पेमाईश रकबा का मुआवजा तय फरमावे। प्रार्थीगण द्वारा मुआवजा राशि न्यायालय में जमा करवाने पर उसे अप्रार्थीगण को अदा फरमावें व प्रार्थीगण का उक्त रास्ता कायम करते हुये प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र को मन्जूर फरमाकर प्रार्थीगण को न्याय दिलावे।

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थीगण को जरिये सम्मन वास्ते जबाब प्रार्थना पत्र तलब किया गया। अप्रार्थीगण की और से वकालतनामा पेश हुआ। अप्रार्थीगण ने जवाब प्रार्थना–पत्र पेश किया जो सा0मि0 हैं। अप्रार्थीगण ने जवाब प्रार्थना–पत्र में जाहिर किया कि प्रार्थना–पत्र के पद संख्या 01 का जवाब यह है कि उक्त वर्णित कथन कि अप्रार्थीगण की खातेदारी व कब्जा काश्त की कृषि भूमि खसरा नम्बर 345/1 व खसरा नम्बर 345 राजस्व मौजा– जैतारण, पटवार हल्का– जैतारण, जिला – पाली (राज0) आई है, सही होने से स्वीकार है। बाकी उक्त पद में वर्णित तमाम कथन जानकारी के अभाव में अस्वीकार है, जिनको साक्ष्य से साबित करने का भार प्रार्थीगण स्वयं का है। प्रार्थना– पत्र के पद संख्या 2 का जवाब यह है कि उक्त पद में वर्णित कथन पटवारी जी, फुलमाल व पटवारी जी, जैतारण व तहसीलदार जी (भू.अ.), जैतारण, जिला– पाली द्वारा किया गया निरीक्षण की मौका फर्द रिपोर्ट व नजरी नक्शे दिनांक 13.07.2020 व दिनांक 13.08.2020 के अनुसार सही होने से स्वीकार है। पटवारी, फुलमाल व पटवारी, जैतारण व तहसीलदार जी (भू.अ.), जैतारण, जिला– पाली द्वारा किया गया निरीक्षण की मौका फर्द रिपोर्ट व नजरी नक्शे दिनांक 13.07.2020 व दिनांक 13.08.2020 के अनुसार खसरा नम्बर 346 सरहद मौजा– जैतारण, तहसील– जैतारण के उत्तर दिशा में खसरा नम्बर 211/23 सरहद मौजा– फूलमाल, तहसील– जैतारण एवं उत्तर– पूर्व दिशा में खसरा नम्बर 211/25 व खसरा नम्बर 211 सरहद मौजा– फूलमाल, तहसील– जैतारण की भूमि आई हुई है, जिनमें ग्रेवल सड़क जो प्रार्थीगण की कृषि भूमि खसरा 346 सरहद मौजा– जैतारण, तहसील– जैतारण में जाती है। प्रार्थना – पत्र के पद संख्या 3 का जवाब यह है कि उक्त पद में वर्णित तमाम कथन आधारहीन, मनगढन्त व गलत होने से अस्वीकार है। जबकि वास्तविकता यह है कि अप्रार्थी संख्या 1 व 2 की कृषि भूमि खसरा नम्बर 345/1 सरहद मौजा– जैतारण, तहसील– जैतारण के पूर्वी ओर खसरा नम्बर 211/23 सरहद मौजा– फूलमाल, तहसील– जैतारण के चिपते ही अप्रार्थी संख्या 1 व 2 की कृषि भूमि में से कोई रास्ता प्रार्थीगण की भूमि में नहीं जाता है, प्रार्थीगण ने मात्र ओर

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2021.02.15 14:11:25 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

मात्र रास्ता लेने की गरज से रास्ता होने का उक्त कथन झूठा व आधारहीन कथन लिखा है। जहां प्रार्थीगण रास्ता बता रहे है, वहां पर खसरा नम्बर 345/1 सरहद मौजा- जैतारण, तहसील- जैतारण व खसरा नम्बर 211/23 सरहद मौजा- फूलमाल, तहसील- जैतारण के बीच कोई रास्ता नहीं है तथा ना ही कभी पूर्व में कोई कदीमी रास्ता था। प्रार्थना-पत्र के पद संख्या 4 का जवाब यह है कि उक्त पद में वर्णित तमाम कथन आधारहीन, मनगढन्त व गलत होने से अस्वीकार है। जबकि वास्तविकता यह है कि अप्रार्थी संख्या 1 व 2 की कृषि भूमि खसरा 345/1 सरहद मौजा- जैतारण, तहसील- जैतारण के पूर्वी ओर खसरा नम्बर 211/23 सरहद मौजा- फूलमाल, तहसील- जैतारण के चिपते ही अप्रार्थी संख्या 1 व 2 की कृषि भूमि में से कोई रास्ता प्रार्थीगण की भूमि में नहीं जाता है, प्रार्थीगण ने मात्र ओर मात्र रास्ता लेने की गरज से रास्ता होने का उक्त कथन झूठा व आधारहीन कथन लिखा है। जहां प्रार्थीगण रास्ता बता रहे है, वहां पर खसरा नम्बर 345/1 सरहद मौजा- जैतारण, तहसील- जैतारण व खसरा नम्बर 211/23 सरहद मौजा- फूलमाल, तहसील- जैतारण के बीच कोई रास्ता नहीं है तथा ना ही कभी पूर्व में कोई रास्ता रहा था। अप्रार्थी संख्या 1 व 2 की कृषि भूमि खेत खसरा नम्बर 345/1 सरहद मौजा- जैतारण, तहसील- जैतारण प्रार्थीगण के खसरा नम्बर 346 सरहद मोजा- जैतारण, तहसील- जैतारण के आगे स्थित नहीं है, प्रार्थीगण के खसरा नम्बर 346 सरहद मौजा- जैतारण, तहसील- जैतारण के एकदम आगे व सामने उत्तर दिशा की तरफ खसरा नम्बर 211/23 सरहद मौजा- फूलमाल, तहसील- जैतारण व खसरा नम्बर 211/25 सरहद मौजा- फूलमाल, तहसील- जैतारण है, जो पटवारी, फुलमाल व पटवारी , जैतारण व तहसीलदार(भू.अ.), जैतारण, जिला- पाली द्वारा किया गया निरीक्षण की मौका फर्द रिपोर्ट व नजरी नक्शे से साफ जाहिर है। प्रार्थीगण मात्र ओर मात्र अप्रार्थीगण को तंग व परेशान करने के लिए व अप्रार्थीगण की कृषि भूमि में होने वाली फसल को नुकसान पहुंचाने के लिए बदनियति से अपनी कृषि भूमि में जाने का रास्ता मांग रहे है, जिससे अप्रार्थीगण की कृषि भूमि में गाय, भैंसें, सुअर आदि जानवर घुसते रहे व अप्रार्थीगण की फसल को हमेशा नुकसान होता रहे। धारा 251(क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के अनुसार किसी भी खातेदार को, जिसके खातेदारी कृषि भूमि में जाने का रास्ता ही ना हो, तो डी0एल0सी0 राशि पर रास्ता दिलाया जाता है तथा जिस कृषि भूमि में से रास्ता मांगा जा रहा है, वह कृषि भूमि भी उस खातेदार की कृषि भूमि के एकदम सामने हो। प्रार्थीगण के खातेदारी कृषि भूमि खसरा नम्बर 346 सरहद मौजा- जैतारण, तहसील- जैतारण में जाने का रास्ता पटवारी, फुलमाल व पटवारी, जैतारण व तहसीलदार(भू.अ.), जैतारण, जिला- पाली द्वारा किया गया निरीक्षण की मौका फर्द रिपोर्ट व नजरी नक्शे के अनुसार खसरा नम्बर 211 सरहद मौजा- फूलमाल, तहसील- जैतारण में से प्राप्त है, फिर भी प्रार्थीगण अप्रार्थीगण को तंग व परेशान व आर्थिक नुकसान पहुंचाने के लिए अप्रार्थीगण की कृषि भूमि में से आधारहीन आधारों पर रास्ते की मांग कर रहे है, इसिलिये प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना- प[illegible] मनगढन्त व गलत आधारों पर प्रस्तुत होने से काबिले खारिज [illegible] 6 का जवाब यह है कि उक्त पद में वर्णित तमाम कथन आधारहीन, मनगढन्त व गलत होने से अस्वीकार है। जबकि वास्तविकता यह है कि अप्रार्थी संख्या 1 व 2 की कृषि भूमि खसरा नम्बर 345/1 सरहद मौजा- जैतारण, तहसील- जैतारण के पूर्वी ओर खसरा नम्बर 211/23 सरहद मौजा- फूलमाल, तहसील- जैतारण के चिपते ही अप्रार्थी संख्या 1 व 2 की कृषि भूमि से कोई रास्ता प्रार्थीगण की भूमि में नहीं जाता है, प्रार्थीगण ने मात्र ओर मात्र रास्ता लेने की गरज से रास्ता होने का उक्त कथन झूठा व आधारहीन कथन लिखा है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2021.02.15 14:11:25 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

जहां प्रार्थीगण रास्ता बता रहे है, वहां पर खसरा नम्बर 345/1 सरहद मौजा- जैतारण, तहसील- जैतारण व खसरा नम्बर 211/23 सरहद मौजा- फूलमाल , तहसील - जैतारण के बीच कोई रास्ता नहीं है तथा ना ही कभी पूर्व में कोई कदीमी रास्ता रहा था। इसिलिये प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र आधारहीन, मनगढन्त व गलत आधारों पर प्रस्तुत होने से काबिले खारिज के है। प्रार्थना-पत्र के पद संख्या 7 का जवाब यह है कि उक्त पद में वर्णित तमाम कथन कानूनी होने से काबिले घोर न्यायालय हाजा के है। प्रार्थना - पत्र के पद संख्या 8 (आठ) का जवाब यह है कि उक्त पद में वर्णित तमाम कथन कानूनी होने से काबिले घोर न्यायालय हाजा अतः अप्रार्थीगण द्वारा, प्रार्थीगण के प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा 251(क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 का, जवाब प्रस्तुत कर निवेदन है कि अप्रार्थी संख्या 1 व 2 की कृषि भूमि खसरा नम्बर 345/1 सरहद मौजा- जैतारण, तहसील- जैतारण के पूर्वी ओर खसरा नम्बर 211/23 सरहद मौजा- फूलमाल, तहसील- जैतारण के चिपते ही अप्रार्थी संख्या 1 व 2 की कृषि भूमि में से कोई रास्ता प्रार्थीगण की भूमि में नहीं जाता है, प्रार्थीगण ने मात्र ओर मात्र रास्ता लेने की गरज से रास्ता होने का उक्त कथन झूठा व आधारहीन कथन लिखा है। जहां प्रार्थीगण रास्ता बता रहे है, वहां पर खसरा नम्बर 345/1 सरहद मौजा- जैतारण, तहसील- जैतारण व खसरा नम्बर 211/23 सरहद मौजा- फूलमाल, तहसील- जैतारण के बीच कोई रास्ता नहीं है तथा ना ही कभी पूर्व में कोई कदीमी रास्ता था। अप्रार्थी संख्या 1 व 2 की कृषि भूमि खेत खसरा नम्बर 345/1 सरहद मौजा- जैतारण, तहसील- जैतारण प्रार्थीगण के खसरा नम्बर 346 सरहद मोजा- जैतारण, तहसील- जैतारण के आगे स्थित नहीं है, प्रार्थीगण के खसरा नम्बर 346 सरहद मौजा- जैतारण, तहसील- जैतारण के एकदम आगे व सामने उत्तर दिशा की तरफ खसरा नम्बर 211/23 सरहद मौजा- फूलमाल, तहसील- जैतारण व खसरा नम्बर 211/25 सरहद मौजा- फूलमाल, तहसील- जैतारण है, जो पटवारी जी, फुलमाल व पटवारी जी, जैतारण व तहसीलदार जी (भू.अ.), जैतारण, जिला- पाली द्वारा किया गया निरीक्षण की मौका फर्द रिपोर्ट व नजरी नक्शे दिनांक 13.07.2020 व दिनांक 13.08.2020 से साफ जाहिर है, माननीय न्यायालय हाजा द्वारा उक्त रिपोर्ट दिनांक 17.10.2019 को तहसीलदार जी (भू.अ), जैतारण, जिला- पाली द्वारा मांगी गई थी, जो निरीक्षण की मौका फर्द रिपोर्ट व नजरी नक्शे पटवारी जी, फुलमाल व पटवारी, जैतारण व तहसीलदार(भू.अ.). जैतारण, जिला- पाली दिनांक 13.07.2020 व दिनांक 13.08.2020 पत्रावली पर उपलब्ध है। प्रार्थीगण मात्र ओर मात्र अप्रार्थीगण को तंग व परेशान करने के लिए व अप्रार्थीगण की कृषि भूमि में होने वाली फसल को नुकसान पहुंचाने के लिए बदनियति से अपनी कृषि भूमि में जाने का रास्ता मांग रहे है, जिससे अप्रार्थीगण की कृषि भूमि में गाय, भैंसें, सुअर आदि जानवर घुसते रहे व अप्रार्थीगण की फसल को हमेशा नुकसान होता रहे। धारा 251(क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम [illegible] 1955 के अनुसार किसी भी खातेदार को, जिसके खातेदारी कृषि भूमि में जाने का रास्ता ही ना तो [illegible] राशि पर रास्ता दिलाया जाता है तथा जिस कृषि भूमि में से [illegible] उस खातेदार की कृषि भूमि के एकदम सामने [illegible] कृषि भूमि खसरा नम्बर 346 सरहद मौजा- जैतारण, तहसील- जैतारण में जाने का [illegible] पटवारी, फुलमाल व पटवारी, जैतारण व तहसीलदार(भू.अ.), जैतारण, जिला- पाली द्वारा किया गया निरीक्षण की मौका फर्द रिपोर्ट व नजरी नक्शे दिनांक 13. 7.2020 व दिनांक 13.08.2020 के अनुसार खसरा नम्बर 211/25 सरहद मौजा- फूलमाल, तहसील- जैतारण में से प्राप्त है तथा पटवारी, फुलमाल व पटवारी, जैतारण व तहसीलदार(भू.अ.), जैतारण, जिला- पाली

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2021.02.15 14:11:25 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

द्वारा किया गया निरीक्षण की मौका फर्द रिपोर्ट व नजरी नक्शे दिनांक 13.07.2020 व दिनांक 13.08.2020 के अनुसार प्रार्थीगण की कृषि भूमि खसरा नम्बर 346 सरहद मौजा- जैतारण, तहसील- जैतारण में जाने का कोई रास्ता अप्रार्थी संख्या 1 व 2 की कृषि भूमि खसरा नम्बर 345/1 में नहीं है, फिर भी प्रार्थीगण अप्रार्थीगण को तंग व परेशान व आर्थिक नुकसान पहुंचाने के लिए अप्रार्थीगण की कृषि भूमि में से आधारहीन आधारों पर रास्ते की मांग कर रहे है, इसलिये प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना- पत्र आधारहीन, मनगढन्त व गलत आधारों पर प्रस्तुत होने से काबिले खारिज के होने से प्रार्थीगण का उक्त प्रार्थना-पत्र खारिज फरमाया जाने का आदेश फरमावें एवं तमाम खर्चा मुकदमा अप्रार्थीगण को प्रार्थीगण से दिलाया जावें।

तहसीलदार जैतारण ने अपनी जांच रिपोर्ट पत्र क्रमांक/भू.अ./20/2625 दिनांक 13.08.2020 मय नजरी नक्शा प्रस्तुत किया तथा पटवारी पटवार हल्का जैतारण द्वारा प्रस्तुत फर्द मौका रिपोर्ट, मौके की फोटोग्राफस तथा नजरी नक्शा पेश किया जो सा0मि0 है। बहस वकुलाय की सुनी गई।

हमनें प्रकरण में बहस अधिवक्ता उभयपक्ष की सुनी तथा उस पर मनन किया। पत्रावली मय दस्तावेजात् एवं तहसीलदार जैतारण द्वारा प्रस्तुत वस्तुस्थिति की रिपोर्ट मय नजरी नक्शा एवं संपरिवर्तन आदेश खसरा नम्बर 211/25 इत्यादि का गहनता से अवलोकन करते हुए अध्ययन किया। संगत विधिक प्रावधानों का अध्ययन किया गया। प्रकरण में तहसीलदार जैतारण के पत्र क्रमांक/भू.अ./20/2625 दिनांक 13.08.2020 द्वारा प्रेषित प्रकरण की जांच रिपोर्ट एवं भू. अभिलेख निरीक्षक जैतारण की बिन्दूवार फर्द मौका जांच रिपोर्ट दिनांक 13.07.2020 खसरा संख्या 211/25 ग्राम फुलमाल तथा खसरा संख्या 346 ग्राम जैतारण के मौके के फोटोग्राफस तथा ग्राम फुलमाल के खसरा संख्या 211/25 रकबा 22-09 बीघा का श्रीमान् जिला कलक्टर पाली द्वारा आवसीय कॉलोनी प्रयोजनार्थ जारी संपरिवर्तन आदेशांक 4125 दिनांक 24.06.2016 मय ले-आउट प्लान, ग्राम फुलमाल के खसरा संख्या 211/25 की जमाबन्दी प्रति के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थी की आराजी खसरा संख्या 346 रकबा 54-12 बीघा ग्राम जैतारण की भूमि से लगते हुए मौजा फुलमाल का खसरा संख्या 211/25 जिसमें वर्तमान में पक्की एवं ग्रेवल सड़क बनी हुई है। खसरा संख्या 211/25 रकबा 22-09 बीघा भूमि को श्रीमान् जिला कलक्टर पाली द्वारा आवासीय कॉलोनी प्रयोजनार्थ संपरिवर्तन आदेशांक 4125 दिनांक 24.06.2016 द्वारा आवासीय कॉलोनी में संपरिवर्तित किया गया। जिसका जमाबन्दी में अंकन हैं तथा उक्त संपरिवर्तित भूमि के स्वीकृत ले-आउट प्लान से यह स्पष्ट है कि प्रार्थी की भूमि तक उपर्युक्त खसरा संख्या 211/25 की संपरिवर्तित भूमि में से न्यूनतम 30 फीट चौड़े कॉलोनी के रास्तों से पहुंच मार्ग उपलब्ध है, जो अंततः जैतारण फुलमाल मुख्य 100 फीट चौड़े मार्ग से जुड़ता है। उपर्युक्त संपरिवर्तन आदेश की [illegible] उल्लेख है कि अनुमोदित ले-आउट प्लान अनुसार कुल संपरिवर्तित क्षेत्र[illegible] का [illegible].10 प्रतिशत क्षेत्रफल जनसुविधा(पार्क, सड़क एवं अन्य जनसुविधाओं) के लिए होगा, [illegible] पंचायत के खाते में दर्ज कि जावें। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि [illegible] भूमि के ले-आउट प्लान में दर्शाये गए रास्ते जनसुविधाओं के लिए होतें है तथा इनका [illegible]पयोग एवं उपभोग निजी रूप से न होकर सार्वजनिक रूप से किया जाता है। खसरा संख्या 211/25 के मौके के फोटोग्राफस से भी इसकी पुष्टि होती है। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि प्रार्थी की आराजी तक पहुंच मार्ग उपलब्ध है तथा वैकल्पिक रास्ते का अभाव एवं आत्यंतिक आवश्यकता का बिंदू साबित नहीं होता है, तथा प्रार्थी द्वारा खसरा संख्या 345/1 ग्राम जैतारण की भूमि में

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2021.02.15 14:11:25 IST
Reason: SelfAttested

से जैतारण फुलमाल सड़क से पहुंच मार्ग की मांग महज सुविधा के लिए तथा रास्ते के लिए एक और सुविधाजनक विकल्प की श्रेणी में आता है। अप्रार्थी द्वारा जवाब प्रार्थना पत्र में अंकित कथन की प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि खसरा संख्या 346 तक पहुंच के लिए खसरा संख्या 211/25 ग्राम फुलमाल से आने जाने के लिए रास्ता उपलब्ध है, कि भू. अभिलेख निरीक्षक की रिपोर्ट एवं दस्तावेजों से पुष्टि होती है। प्रार्थीगण द्वारा अपने प्रार्थनापत्र में स्वयं की आराजी तक ग्राम फुलमाल के खसरा संख्या 211/25 की आवासीय कॉलोनी प्रयोजनार्थ संपरिवर्तित भूमि से रास्ता उपलब्ध होनें के बावजूद उक्त तथ्य को प्रकट नहीं किया है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251क के अन्तर्गत खातेदार को अपनी जोत तक पहुंचने के लिए केवल उसी दशा में रास्ता स्वीकृत किया जा सकता है, जब ऐसे रास्ते का अभाव जांच से साबित हो जाता हो तथा रास्ते की आवश्यकता महज सुविधा के लिए न होकर आत्यंतिक आवश्यकता हो। हस्तगत प्रकरण में प्रार्थीगण की आराजी खसरा संख्या 346 ग्राम जैतारण के लिए रास्ता प्रार्थीगण की आराजी से लगता ग्राम फुलमाल के खसरा संख्या 211/25 की आवासीय कॉलोनी प्रयोजनार्थ संपरिवर्तित भूमि में से उपलब्ध होनें, रास्ते की आत्यंतिक आवश्यकता साबित नहीं होनें तथा प्रार्थीगण द्वारा खसरा संख्या 345/1 ग्राम जैतारण में से की गई रास्ते की मांग महज सुविधा के लिए होनें तथा प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र 251क के विधिक प्रावधानों के अनुरूप साबित नहीं होनें से हमारा यह विनम्र अभिमत है कि प्रार्थीगण का प्रार्थनापत्र अस्वीकार किया जाना विधि संगत एवं उचित रहेगा।

–:: आदेश ::–

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में निष्कर्षतः प्रार्थना-पत्र प्रार्थी अंतर्गत धारा 251क, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 बखूबी साबित नहीं होनें एवं सारहीन होनें से अस्वीकार/खारिज किया जाता है। पत्रावली इसी कद्र फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो, बाद तकमील जाप्ता दाखिल दफ्तर लेख्य भण्डार जमा हो।

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण, (जिला-पाली)

निर्णय आज दिनॉक 18/01/2021 को सर-ए-इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण, (जिला-पाली)

Signature Not Verified

Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2021.02.15 14:11:25 IST
Reason: SelfAttested